

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओपी०बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 29/2018

प्रार्थी

भूराराम गोदारा  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी बाड़मेर

अप्रार्थी

बनाम अरविन्द कुमार पुत्र गौतमचन्द  
जाति जैन निवासी जैनो का वास  
झिन्झनियाली हाल होटल कैलाश  
इन्टरनेशनल के पीछे बाड़मेर  
(फर्म मैसर्स मुकेश कुमार रोशन  
कुमार कृषि उपज मण्डी बाड़मेर  
का मालिक)

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)(iv) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:-1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।  
2. श्री सम्पतराज बोथरा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 02.05.2018



1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 14.2.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दोपहर 01.00 बजे मैसर्स मुकेश कुमार रोशन कुमार कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर पहुंचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम अनिल (अरविन्द) कुमार पुत्र गौतमचन्द उम्र 24 वर्ष जाति जैन निवासी जैनो का वास झिन्झलियाली हाल होटल कैलाश इन्टरनेशनल के पीछे बाड़मेर जिला बाड़मेर (फर्म मालिक) बताया गया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा सामग्री के साथ धनिया पाउडर (खुला) जो कि 10 किलोग्राम एक कट्टे में भरा हुआ पाया गया। उक्त धनिया पाउडर (खुला) में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को जरिये रसीद रूपये 220/- नगद अदा कर दो किलोग्राम खरीदा एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये गये उन पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी. 741 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

स्थान एवं दिनांक आदि विवरण अंकित किया। खरीदे हुए धनिया पाउडर (खुला) को चार पैकेटों में 500-500 ग्राम प्रति पैकेट में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक पैकेट को सीलबन्द किया। प्रत्येक पैकेट पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर पी-741 चिपकाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्लॉस करते हुए अपने-अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। उक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-741 जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की सात प्रतियां तैयार की गई। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया था, एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी द्वारा परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/109/एक्ट/2017/111 दिनांक 27.2.2017 से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) का नमूना पी-741 प्रतिबन्धित **contravenes regulation no. 2.3.15 (1)(b)** एवं अवमानक (Sub Standard) स्तर का पाया गया। जाँच में प्रतिबन्धित **contravenes regulation no. 2.3.14 (15)** एवं अवमानक (Sub Standard) स्तर पाये गये खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) का विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)(iv) का उल्लंघन होना पाये जाने के



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

फलस्वरूप अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।
3. अप्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरी दुकान से धनिया पाउडर का सेम्पल भरा गया था, जो जांच रिपोर्ट में खुला होने के कारण अवमानक स्तर का पाया गया। उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाना चाहता है। न्यूनतम जुर्माना करवाते हुए प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाए।
4. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने बहस के दौरान बताया कि दिनांक 14.02.2017 को जांच के दौरान धनिया पाउडर (खुला) में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना पी-741 फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर की जाँच रिपोर्ट में prohibited as it contravenes regulation no. 2.3.14 (15) एवं अवमानक (Sub Standard) स्तर का पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii)(iv) का उल्लंघन होने से अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।  
हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/109/एक्ट/2017/111 दिनांक 27.2.2017 का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा बेचा जा रहा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (खुला) का नमूना पी. 741 जाँच में प्रतिबन्धित contravenes regulation no. 2.3.14 (15) एवं अवमानक (Sub Standard) स्तर का पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उप धारा 2(ii)(iv) का उल्लंघन है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होते हैं।
6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 में प्रतिबन्धित contravenes regulation no. 2.3.14 (15) एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का खाद्य पदार्थ पाये



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)(iv) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत अभियुक्त अरविन्द कुमार पर रूपये 2000/- अक्षरे दो हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 02.05.2018 से एक माह के अंदर-अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



  
(ओपीओ बिश्नोई)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 02.05.2018 को सुनाया गया।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर